

मत्स्य निदेशालय

नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु०),  
मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।

मत्स्य/पटना, दिनांक 09.02.2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के तहत कुल ₹1002.89970 लाख (दस करोड़ दो लाख नवासी हजार नौ सौ सत्तर ₹०) मात्र की लागत पर स्वीकृत "नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना" हेतु तृतीय चरण में ₹351.01490 लाख (कुल तीन करोड़ इक्यावन लाख एक हजार चार सौ नब्बे ₹०) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी-1 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6एस0एस0(6)54/2025-3655 दिनांक-14.08.2025 के आलोक में "नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना" हेतु स्वीकृत ₹1002.89970 लाख (दस करोड़ दो लाख नवासी हजार नौ सौ सत्तर ₹०) मात्र के अन्तर्गत तृतीय चरण में ₹351.01490 लाख (कुल तीन करोड़ इक्यावन लाख एक हजार चार सौ नब्बे ₹०) मात्र का आवंटन, व्यय का वहन करने हेतु आवंटित किया जाता है।


2. इस आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101-अंतर्देशीय मछलीपालन, उप शीर्ष-0104-तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02-2405001010104 के तहत विषय शीर्ष-0104.33.01-सब्सिडी मद के अंतर्गत विकलित किया जाएगा।
3. योजनान्तर्गत आवंटित राशि को बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय की जाएगी जिसे लक्ष्यानुसार जिलों को अंतरित किया जाएगा।
4. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि०(2) दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग का पत्रांक 345 दि० 25.03.2021 (जिसके तहत योजनान्तर्गत उपबंधित राशि से अधिक व्यय निषेध होगा) के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा :-
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम-475 का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।
6. आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा इसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25.03.2026 तक अवश्य भेज दें।
8. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।
9. निकासी की गई राशि का विस्तृत विपत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विधिवत समर्पित किया जाएगा।

अनुलग्नक :- विवरणी-1 (एक प्रति)

विश्वासभाजन  
9/2/26  
निदेशक मत्स्य


ज्ञापांक : म०/बजट-04/2025 ..... 92 ...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक मत्स्य,


ज्ञापांक : म०/बजट-04/2025 ..... 92 ...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक मत्स्य,


ज्ञापांक : म०/बजट-04/2025 ..... 92 ...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ जिला पदाधिकारी, (सभी)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक मत्स्य,


ज्ञापांक : म०/बजट-04/2025 ..... 92 ...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ विभागीय योजना एवं बजट शाखा, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग/संयुक्त मत्स्य निदेशक (सभी)/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/रोकड़पाल, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक मत्स्य,


ज्ञापांक : म०/बजट-04/2025 ..... 92 ...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट-04/2025 ..... 92 ...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 09.02.2026 /

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाए।

  
निदेशक मत्स्य



अनुलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के तहत "नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना" हेतु आवंटन।

(राशि लाख में)

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मॉग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101-अंतर्देशीय मछलीपालन, उप शीर्ष-0104-तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02-2405001010104 के तहत विषय शीर्ष-0104.33.01-सब्सिडी मद						वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कुल स्वीकृत राशि	कुल वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
		नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना								
		फिशिंग उडेन बोट पैकेज		फिशिंग एफ0आर0पी0 बोट पैकेज		कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज				
		वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	निदेशक मत्स्य	279.90000	97.96500	347.40000	121.59000	375.59970	131.45990	1002.89970	351.01490	योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि को बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय किया जाएगा।

₹351.01490 लाख (कुल तीन करोड़ इक्यावन लाख एक हजार चार सौ नब्बे रु०) मात्र।

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
9/2/26  
निदेशक मत्स्य